HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Civil Transfer Application No. 390/2025

Radhey Jatav Son Of Shri Tukiya Jatav, Aged About 42 Years, Resident Of Village Jasnavali Kalan, Post Saray Chhabila, Tehsil And District Buland Sahar (U.p.)

----Plaintiff/Petitioner

Versus

1. Dilip Son Of Shri Dharamdas, Resident Of Arjunlal Sethi Nagar, Parbatpura Bypass, Ajmer.
2. Smt. Sonu Meghwal Wife Of Shri Hemraj, Resident Of Dadhich Basti, Ward No. 09, Kishangarh, District Ajmer.
3. Banshilal Son Of Ratan Lal, Resident Of Chamar Mohalla, Village Dabrela, Fatehgarh, District Ajmer (Raj.)
4. Sub Registrar, Village Aradka, Tehsil And District Ajmer.

----Defendant/Respondents

For Petitioner(s)	:	Mr. Dhanraj Bhaskar, Adv.
For Respondent(s)	:	Mr. Hem Singh, Adv.

HON'BLE MR. JUSTICE CHANDRA PRAKASH SHRIMALI

Order

07/05/2026

प्रार्थी द्वारा यह अंतरण प्रार्थना पत्र संख्या 390/2025 अंतर्गत धारा 24 सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत राधे जाटव बनाम दिलीप वगैरह दीवानी वाद संख्या 181/2022 को विद्वान अतिरिक्त जिला न्यायाधीश संख्या 5 अजमेर से बाहर किसी भी न्यायालय में भेजे जाने का निवेदन किया।

सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

दोनों पक्षों के विद्वान अभिभाषक का कथन है कि दोनों पक्षों में राजीनामा हो चुका है तथा प्रकरण को जयपुर स्थित किसी भी न्यायालय में अंतरित कर दिया जावे, तो दोनों पक्षों को कोई आपत्ति नहीं है।

अतः दोनों पक्षों की सहमति व प्रार्थना पर प्रकरण संख्या 181/2022 बउनवानी राधे जाटव बनाम दिलीप वगैरह को विधिवत सुनवाई व निस्तारण

RAJASTHAN HIGH COURT

हेतु विद्वान अपर जिला न्यायाधीश क्रम संख्या 5 अजमेर से विद्वान अपर जिला न्यायाधीश क्रम संख्या 5 जयपुर महानगर द्वितीय में अंतरित किया जाता है।

अन्तरण न्यायालय को आदेश दिया जाता है कि आदेश की प्रति प्राप्त होने पर प्रकरण विधिवत सुनावाई व निस्तारण हेतु दोनों पक्षों को सूचित करते हुए अंतरिती न्यायालय को प्रेषित करे।

कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि आदेश की प्रति अंतरण तथा अंतरिती न्यायालय को अविलम्ब प्रेषित की जावे।

(CHANDRA PRAKASH SHRIMALI),J

NIKITA /14